न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल
आपराधिक वाद संख्या 793 सन् 2022
राज्य बनाम माधव अग्रवाल आदि

दिनांक : 18.07.2023

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। अभियोजन की ओर से नामिका अधिवक्ता अभियोजन उपस्थित। अभियुक्तगण अनुपस्थित। अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री महेश बलूनी उपस्थित। अभियुक्तगण की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र एवं स्थगन प्रस्तुत किया गया जो केवल आज हेतु स्वीकृत।

प्रार्थना पत्र कागज संख्या 41ब एवं आपत्ति कागज संख्या 45ब पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 41ब वादी मुकदमा विजय कुमार राय की ओर से इस आशय का दिया गया है कि वह उपरोक्त वाद में वादी है जिसके साथ अभियुक्तगण ने दिनॉक 09.05.2022 को मारपीट की जिससे वादी को चोटें आई जिसका चिकित्सकीय परीक्षण दिनॉक 10.03.2022 को चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाइप–1 लक्ष्मणझूला में कराया गया परन्तु अन्वेषण अधिकारी द्वारा उक्त मेडिकल रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट के साथ शामिल नहीं किया गया। प्रार्थी ने उक्त के सन्दर्भ में ओ0पी0डी0 पर्ची कागज संख्या 41ब/1 एवं चिकित्सकीय प्रमाण पत्र कागज संख्या 41ब/2 मूल रूप में पत्रावली पर पेश किया है जिसे पत्रावली पर अभिलेख पर लेने की प्रार्थना की गयी है, जिस पर अभियुक्तगण की ओर से आपत्ति कागज संख्या 45ब प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि विवेचक द्वारा मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है और साक्ष्य के इस स्तर पर अभियोजन द्वारा कथित प्रमाण पत्र पेश कर अपनी कमियों को पूरा किया जारहा है जिससे अभियुक्तगण के बचाव का अधिकार प्रभावित होता है, यदि यह मेडिकल पूर्व में ही वादी के कब्जे में होते तो वह अवश्य ही उक्त मेडिकल प्रपत्रों को विवेचक को उपलब्ध कराता जिससे वादी द्वारा प्रस्तुत कागजात संदिग्ध प्रतीत होते हैं इसलिए अभियोजन का उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले में साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 वादी मुकदमा विजय कुमार राय की मुख्य परीक्षा दिनॉक 23.06.2023 को अंकित कराये जाते समय प्रार्थना पत्र कागज संख्या 41ब मय ओ0पी0डी0 पर्ची कागज संख्या 41ब/1 एवं मेडिकल कागज संख्या 41ब/2 पेश करते हुए कथन किया कि उसने घटना में आयी चोटों के सम्बन्ध में अपना मेडिकल दिनॉक 10.03.2022 को चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाइप–1 लक्ष्मणझूला में कराया किन्तु विवेचक ने उक्त कागजात को अपनी विवेचना में शामिल नहीं किया है, जिससे उसे उक्त कागजात पेश करने की अनुमति दी जाए जिस पर अभियुक्तगण की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि इस स्तर पर वादी मुकदमा को उक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। चूंकि प्रार्थना पत्र में साक्ष्य का अभी प्रारंभिक स्तर है और वादी मुकदमा ने अपने साक्ष्य की तिथि पर ही उक्त कागजात पेश किये हैं जिन्हें मामले के उचित निस्तारण हेतु पत्रावली पर लिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः ऐसे में वादी मुकदमा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 41ब स्वीकार किया जाता है और प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न ओ0पी0डी0 पर्ची कागज संख्या 41ब/1 एवं मेडिकल कागज संख्या 41ब/2 को पत्रावली पर रखा जाता है। अभियुक्तगण को वादी मुकदमा साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 से उक्त प्रपत्रों की जिरह करने का अधिकार रहेगा।

पत्रावली दिनॉक 31.07.2023 को वास्ते शेष मुख्य परीक्षा/जिरह पी0डब्ल्यू0–1 पेश हो। साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 तलब हो।

दिनॉक 18.07.2023

(मौ0 याकूब)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पौड़ी गढ़वाल।